संख्या– 2087 / नौ–9–2020–164ज / 19

प्रेषक,

राजीव शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ: दिनांक: 3 जनवरी, 2020

विषयः–प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चिन्हित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–123यूटीडी / 2020–55(4)यू0टी0डी0 / 18, दिनांक 22.01.2020 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों हेतु मौजा, जहांगीराबाद, परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज में चिन्हित भूमि के प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये विकय विलेख का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया है कि भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है शासन के पत्र संख्या–2066 / नौ–9–2019–164ज / 19, दिनांक 14.11.2019 के माध्यम से प्रयागराज शहर में नगरीय बसों के संचालन के लिये प्रयागराज शहर में स्थित जहांगीराबाद नैनी में 9130 वर्गमीटर भूमि की रजिस्ट्री हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज से प्राप्त लेख / विकय विलेख पत्र के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तद्क्रम में उक्त लेख / विक्रय विलेख पत्र के आधार पर रजिस्ट्री आदि की अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु रू0 2544.07 लाख का व्यय डी0यू0टी0एफ0 से आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की गयी है कि डी0यू0टी0एफ0 की बैठक दिनांक 08.08.2019 के प्रस्ताव संख्या–04 व 05 के कम में मानकीकरण के अनुरूप ही कार्यवाही / व्यय सुनिश्चित की जाये। नगरीय परिवहन निदेशालय के संदर्भित पत्र दिनांक 22.01.2020 के माध्यम से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विकय विलेख के प्रारूप में भूमि की संशोधित लागत धनराशि रू0 24,54,14,400.00 अवगत करायी गयी है।

3. अतः इस संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 14.11.2019 अवक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(i) शासन द्वारा प्रयागराज शहर में नगरीय बसों के संचालन के लिये चार्जिंग स्टेशन एवं शेड निर्माण हेतु प्रयागराज शहर में स्थित जहांगीराबाद, नैनी के <u>प्रश्नगत आराजी नम्बर, 9130 वर्गमीटर</u> क्षेत्रफल भूमि के क्रय एवं लागत मूल्य धनराशि रू0 <u>24,54,14,400.00</u> का भुगतान डी0यू0टी0एफ0 से आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से प्रयागराज विकास प्राधिकरण को किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उक्त निर्माण संबंधी कार्यों हेतु शासन के पत्र 2015 / नौ–9–2019–195ज / 2019, दिनांक–09.12.2019 के माध्यम से सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

(ii) इस संबंध में श्री राज्यपाल के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने हेतु न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक–15.07.1977 के प्रस्तर–01, सामान्य मदें (1) के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अधिकृत किया जाता है।

(iii) विक्रय विलेख की स्वच्छ प्रति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराते हुए उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर हेतु विक्रय विलेख उपलब्ध कराएं।

कृपया संलग्न क्रय/विक्रय विलेख पत्र के आधार पर रजिस्ट्री आदि की अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।